E-mail

**कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर**

पत्रांक– 1200 /मी0क्षे0/33/मीरजापुर, दिनांक, **सितम्बर** २५, 2020

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
रेनुकूट, ओबरा, सोनभद्र
तथा मीरजापुर ।

विषयः– 400 के0वी0 अनपरा–वाराणसी डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण में (रेनुकूट वन प्रभाग की 98.28हे0, ओबरा – 113.048हे0 सोनभद्र–15.79हे0, मीरजापुर–37.51हे0 एवं कैमूर वन्यजीव प्रभाग, मीरजापुर की 54.652हे0) में प्रभावित कुल 319.28हे0 वनभूमि के लीज नवीनीकरण प्रस्ताव ऑन लाईन संख्या– FP/UP/TRANS/32650/2018

संदर्भः– 1–प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट का पत्र संख्या–79/रेनुकूट/15–7 दिनांक 04.07.2020
2–प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा का पत्र संख्या–621/ओबरा/33 दिनांक 03.09.2020
3–प्रभागीय वनाधिकारी, सोनभद्र का पत्र संख्या–310/सोनभद्र/33दिनांक 16.08.2020
4–प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर का पत्र संख्या–4222/मी0/15 दिनांक 13.05.2020
5–प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन प्रभाग का पत्र संख्या–05/33–1दिनांक 02.07.2020

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक–343/11–सी दिनांक 14.08.2020 जो आपको सम्बोधित तथा इस कार्यालय को पृष्ठांकित है। पत्र में उल्लेख है कि "भविष्य में जो भी प्रस्ताव इस कार्यालय में प्रेषित किये जाए उनमें सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी एवं प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा निम्नवत् प्रमाण पत्र जो सम्बन्धित मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित भी हो, प्रस्ताव के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न किये जाए। प्रमाण पत्र न होने की दशा में प्रस्ताव की हार्ड कापी इस कार्यालय में स्वीकार नहीं होगी।"

अतः प्रश्नगत के सम्बन्ध में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र दिनांक 11.08.2020 में उल्लिखित के अनुसार प्रमाण पत्र तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

सं0- उपरोक्तानुसार ।

भवदीय

(रमेश चन्द्र झा)
मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
पत्रांक– 843 /11–सी, लखनऊ, दिनांकः अगस्त 14 ,2020

सेवा में,

1. समस्त मण्डलीय/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, उ0प्र0।
2. समस्त वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, उ0प्र0।
3. समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक, उ0प्र0।

विषयः– वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अंतर्गत वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति हेतु प्रेषित किये जाने वाले प्रस्तावों में प्रमाण पत्र संलग्न किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उ0प्र0 शासन द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अंतर्गत वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के प्रस्तावों में निर्गत विधिवत स्वीकृत आदेशों में प्रायः यह शर्त अधिरोपित की जा रही है कि **"प्रश्नगत विधिवत स्वीकृति, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ की रिपोर्ट/संस्तुति के आधार पर निर्गत की जा रही है। भविष्य में प्रकरण में किसी बिन्दु पर तथ्य छुपाये जाने अथवा अन्य कोई नियम विरूद्ध तथ्य प्रकाश में आने पर मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे।"**

उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अंतर्गत वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति हेतु प्रेषित किये जाने वाले प्रस्ताव प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रस्तुत किये जाते हैं। प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्तावों में सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी प्रयोक्ता एजेंसी के साथ संयुक्त स्थलीय निरीक्षण कर स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट सहित, वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अंतर्गत प्राविधानों/एक्टों/नियमों के अनुसार आवश्यक अभिलेखों को प्रस्तावों में संलग्न कर संस्तुति सहित सम्बन्धित मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक को प्रेषित किये जाते हैं। इसके पश्चात सम्बन्धित मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक अपनी संस्तुति के साथ प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित करते हैं। सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी/वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की संस्तुति के आधार पर ही मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा प्रस्ताव संस्तुति सहित भारत सरकार/राज्य सरकार को प्रेषित किये जाते हैं। प्रस्ताव में संलग्न किये गये समस्त अभिलेख प्रयोक्ता एजेंसी एवं सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा ही उपलब्ध कराये जाते हैं। ऐसी स्थिति में प्रकरण में किसी भी बिन्दु पर तथ्य छुपाये जाने अथवा अन्य कोई नियम विरूद्ध तथ्य प्रकाश में आने पर उत्तरदायी प्रयोक्ता एजेंसी एवं सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी हैं।

अतः उक्त के सम्बन्ध में यह निर्देश दिये जाते हैं कि भविष्य में जो भी प्रस्ताव इस कार्यालय में प्रेषित किये जायें, उनमें सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी एवं प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा निम्नवत प्रमाण पत्र, जो सम्बन्धित मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित भी हो, प्रस्ताव के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न किये जाये। प्रमाण पत्र न होने की दशा में प्रस्ताव की हार्डकापी इस कार्यालय में स्वीकार्य नहीं होगी।

<u>प्रमाण–पत्र</u>

*"प्रमाणित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा विषयगत प्रेषित प्रस्ताव का भली–भाँति परीक्षण कर लिया गया है तथा अधोहस्ताक्षरी इस बात से संतुष्ट है कि प्रस्ताव वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अंतर्गत निर्गत आदेशों, नियमों व दिशा–निर्देशों के अनुरूप है। विषयगत प्रस्ताव में किसी भी बिन्दु पर कोई भी तथ्य छुपाया नहीं गया है। भविष्य में प्रकरण में किसी बिन्दु पर तथ्य छुपाये जाने अथवा अन्य कोई नियम विरूद्ध तथ्य प्रकाश में आने पर वह स्वयं उत्तरदायी होंगे।"*

| हस्ताक्षर | हस्ताक्षर |
|---|---|
| प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक,<br>(नाम, मोहर एवं तिथि सहित) | प्रयोक्ता एजेंसी के नामित प्रतिनिधि,<br>(नाम, मोहर एवं तिथि सहित) |

प्रतिहस्ताक्षरित

मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक,
(नाम, मोहर एवं तिथि सहित)

17/8/20

भवदीय
14.8

(पंकज मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

E-mail

संख्या– 843 /11–सी, दिनांकित।

प्रतिलिपिः– प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

पत्रांक 695 /मी0 /33 दिनांक अगस्त, 19 2020

14.8

(पंकज मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

Acy-610